न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय विजयराघवगढ कटनी मध्यप्रदेश
(पीठासीन अधिकारी–इरशाद अहमद)

दांडिक अपील क्रमांक 61/2022
फाइलिंग नंबर–4946/2022
सी0एन0आर0नं0 MP2101-006038-2022
फाइलिंग दिनांक 30.05.2022

संजय उर्फ संजू पिता श्री कुबेरदत्त शर्मा
उम्र– लगभग 48 वर्ष, निवासी– ग्राम पोस्ट गैरतलाई
थाना बरही, जिला कटनी म.प्र.

––––**अपीलार्थी/आरोपी**

विरूद्ध

अशोक कुमार दुबे पिता स्व चंद्रिका प्रसाद दुबे
उम्र– 67 साल, निवासी– ग्राम पोस्ट गैरतलाई
थाना बरही जिला कटनी म प्र

–––**प्रत्यर्थी/परिवादी**

21-06-2023

अपीलार्थी सहित अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र चौबे उपस्थित।
प्रत्यर्थी सहित श्री नूर मोहम्मद सिद्दीकी अधिवक्ता।
प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।
इसी प्रक्रम पर उभयपक्ष की ओर से राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त संजय उर्फ संजू को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के आरोप के लिये 6 माह का साधारण कारावास एवं 5,40,000/– रूपये की प्रतिकर राशि अदा किये जाने एवं उक्त प्रतिकर की राशि अदा नहीं करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया गया है। अपील के प्रक्रम पर प्रत्यर्थी अशोक कुमार दुबे द्वारा अपीलार्थी/आरोपी से राजीनामा स्वेच्छया हो जाना व्यक्त किया है।

प्रस्तुत राजीनामा आवेदन के संबंध में प्रत्यर्थी/परिवादी अशोक कुमार दुबे एवं अपीलार्थी संजू उर्फ संजय दत्त के कथन लिये गये। अपने कथनों में उभयपक्षों द्वारा स्वैच्छापूर्वक बिना किसी भय एवं दबाव के स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया, किन्तु पक्षकारों द्वारा प्रकरण में अत्यधिक विलम्ब से यह राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***दामोदर एस प्रभु बनाम् सयैद बाबालाल 2010 सी.आर.एल.जे 2860 (सर्वोच्च न्यायालय)*** की न्यायमणि में विलम्बित प्रकरण पर राजीनामा करने की प्रक्रिया को उपयुक्त नहीं माना गया तथा पक्षकारों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वह प्रकरण में यदि वास्तव में राजीनामा करना चाहते हैं तो प्रारम्भिक प्रक्रम पर राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण का निराकरण करावें विलम्बित प्रक्रम पर राजीनामा करने पर व्यय अधिरोपित करने का सिद्धान्त उक्त न्यायमणि में प्रतिपादित किया गया है।

प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया, पक्षकारों की उक्त वर्णित अनुसार स्तर को देखते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का निराकरण किये जाने में पक्षकारों के मधुर संबंध विकसित होंगे तथा प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना संभव होगा। आरोपी को वर्तमान में अधिक आर्थिक तंगियों से परेशान होना बताया गया है उक्त समस्त परिस्थितियों तथ्यों के प्रकाश में प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पूर्णतः विधिक एवं वाद की विषय वस्तु से संबंधित होने से निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृत किया जाता है। उक्त कारणों के आधार पर कास्ट लगाये जाने के बिन्दु पर सरल व सहज दृष्टिकोण अपनाया गया परिणामस्वरूप राजीनामा आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा आरोपी को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध के आरोप से राजीनामे के आधार पर **दोषमुक्त** किया जाता है तथा आदेश दिया जात है कि आरोपी कॉस्ट की राशि 1000/—रूपये सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के कार्यालय में जमा करावे और उसकी रसीद इस प्रकरण में प्रस्तुत करे।

आरोपी द्वारा प्रस्तुत मुचलका तत्काल प्रभाव से भारमुक्त किये जाते हैं।

विचारण न्यायालय पूर्व से अपीलार्थी द्वारा जमा राशि रसीद क्र0—70 दिनांक 21.06.2022 के माध्यम से जमा राशि 1,35,000/—रुपये प्रत्यर्थी/परिवादी अशोक कुमार दुबे को दिया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख के विचारण न्यायालय को वापस हो।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर नियत अवधि में

अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–
(इरशाद अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश,
श्रृंखला न्यायालय विजयराघवगढ
कटनी म0प्र0

IRSHAD AHAMD
Digitally signed by IRSHAD AHAMD
Date: 2023.06.21 18:05:33 +0000